महेन्द्र सिंह

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

5 अप्रैल 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 / 32 - मृतक पर माँ पीडब्लू 1 की उपस्थिति में हमला किया गया था उसकी साक्ष्य की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हुई- इसलिए पीडब्लू 1 विश्वसनीय गवाह था और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है-चप्पल और पीडब्लू-1 के खून से सने कपड़ों को जब्त न करना, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा क्योंकि अनुसंधान में कमी अपराध का पता लगाने में अदालत के रास्ते में नहीं आएगी यदि यह अन्यथा साबित हो जाता है-

साक्ष्य-एकमात्र चश्मदीद गवाह-आपराधिक विचारण -अनुसंधान में कमी।

अभियोजन का मामला यह था कि पक्षकार एक-दूसरे के संबंधी थे। अपीलार्थी-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) से संबंधित बैल को चारा

ले जाने के लिए उधार लिया था। जब पीडब्लू-1 और उसका बेटा 'ए' इसे वापस लेने गए, तो अपीलार्थी और उसके सह-अभियुक्त 'एच' ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। 'ए' और पीडब्लू-1 दोनों आरोपी व्यक्तियों की झोपड़ी में गए और चुपचाप बैल को ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद अपीलार्थी और 'एच' पीछे से आए और 'ए' पर 'बेक' और 'लुहांगी' से हमला किया। ए 'की मौके पर ही मौत हो गई। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1 की साक्ष्य पर भरोसा किया और अभियुक्तगण को धारा 302/34 324/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्घ घोषित किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिधि को बरकरार रखते हुए, उक्त 'एच' को केवल धारा 304 व धारा 304 के भाग प्रथम के तहत दोषसिद्घ किया इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

1. पीडब्लू-1 की अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। उसके आचरण को विचारण न्यायाधीश ने देखा है। उसने दिखाया कि कैसे व किस तरीके से अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके बेटे की हत्या की और कैसे उसने धारदार हथियारों से उस पर बार-बार हमले से उसे बचाने की कोशिश की। उसने अपने कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री का पूरा समर्थन किया। उसके बयानों के अनुसार पुलिस सुबह लगभग 10 बजे एक जीप में मौके पर आई और उसका बयान दर्ज किया।

इसलिए, पीडब्लू-1 एक विश्वसनीय गवाह था। उसके साक्ष्य की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साबित हुई थी, जिसे गवाह पीडब्लू-4 द्वारा साबित किया गया है। [पैरा 10] [896-बी-सी]

2. यह अब विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एकमात्र चश्मदीद साक्षी की साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। [पैरा 11] [896-एच; 897-ए]

रामजी सूर्या पाडवी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य , [1983] 3 एससीसी 629 ; अनिल फूकन बनाम असम राज्य, [1993] 3 एस.सी.सी. 282 और सेवक अली रामसेवक बनाम. मध्यप्रदेश राज्य व अन्य, [2001] 10 एस. सी. सी. 1, पर भरोसा किया।

3.1 . यह सत्य हो सकता है कि पी. डब्ल्यू.-1 के चप्पल और खून से सने कपड़े बरामद नहीं किये गए थे। लेकिन यह सर्वविदित है कि अनुसंधान में कमी दोषिसिद्घि तक पहुंचने के लिए न्यायालय के रास्ते में बाधा नहीं करेगी, यदि अन्यथा साबित हो जाता है। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट के तत्वों का प्रशन है यह समय से पहले की है, स्वीकार करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह घटना सुबह 27.06.1995 पर हुई थी। उसी दिन दोपहर तीन बजे शव परीक्षण भी किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यहां तक कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी

सही पाया कि केवल तारीख को 27.06.1995 के बजाय 26.06.1995 रखने में गलती की। [पैरा 12,13 और 14] [897-बी-डी]

रोताश बनाम राजस्थान राज्य [2006] 13 SCALE 186 और आचारपरम्बथ प्रदीपन और अन्य बनाम केरल राज्य, (2006) 13 SCALE 600, पर भरोसा किया।

3.2 . तथ्य यह है कि कुछ पचा हुआ भोजन मृतक के पेट में पाया गया था। मृतक, अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसने केवल उस तारीख की सुबह, यानी अपनी मृत्यु के चार घंटे के भीतर भोजन किया था। भले ही उसने कुछ खाना खाया हो, यह बात पी.डब्लयू-१ की जानकारी में नहीं हो सकती है। [पैरा 15] [897-ई]

4. इस मामले में हेतुक की अनुपस्थिति सुसंगत कारण नही हो सकता है। अपीलार्थी द्वारा मृतक को मारने का कारण स्पष्ट है। उसने आरोपी व्यक्तियों की सहमति के बिना बैल को वापस ले गया था। वे मृतक और उसकी माँ के उक्त कृत्य से क्रोधित हो गये होंगे। [897-एफ]

[पैरा 16]

5. इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ निर्दिष्ट उद्देश्य और उक्त अपराध के लिए कथित 'एच' सही नहीं था, तो कुछ भी

नहीं किया गया है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी और कथित 'एच' के खिलाफ उक्त अपराध को करने का उददेश्य नहीं था तो एेसा कुछ भी नहीं दशार्या गया है कि पक्षकारों के बीच इतने करीबी रिश्तों के बावजूद उन्हें झुंठा क्यों फंसाया जावेगा। [पैरा 17] [897- एच; 898-ए]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 486/ 2007

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर पीठ आपराधिक अपील संख्या 459/1998 में निर्णय और आदेश दिनांक 01-04-2004 से।

अपीलार्थी की और से आर. सी. कोहली (एस. सी. एल. एस. सी.)

प्रत्यर्थी की और से विभा दत्ता मखीजा।

एसबी सिन्हा, जे.

1. विलंब क्षमा किया गया।

2. स्वीकार की गई।

3. एकमात्र अपीलार्थी हमारे समक्ष मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील सं॰ 459/1998 के निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठा रहा है, जिसके द्वारा और जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 324 के तहत दभरा जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि की गई थी।

4. पक्षकार एक-दूसरे से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता कांतो बाई (पीडब्लू-1) के पास एक बैल था। अपीलार्थी ने चारा ले जाने के लिए उसे उधार लिया। उसने उसे वापस नहीं किया। 27.06.1995 को पीडब्लू-1 का बेटा अवतार सिंह (मृतक)--आरोपी व्यक्तियों की झोपड़ी में इसे वापस लेने गया। अपीलार्थी और उसके सह-अभियुक्त जिसका नाम हरभजन सिंह ने इसे वापिस देने से इनकार कर दिया। मृतक ने अपनी माँ कांतो बाई (पीडब्लू-1) से वही लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद मृतक और पीडब्लू-1 दोनों आरोपी व्यक्तियों की झोपड़ी में गए। उनका इरादा अपीलार्थी को सूचित किए बिना इसे वापस लाने का था। उन्होंने अपने बैल को चरते हुए पाया। वे उसे चुपचाप वापस ला रहे थे।

अपीलार्थी और कथित हरभजन सिंह क्रमशः 'बेक' और 'लुहांगी' लेकर उनके पीछे अजीत सिंह के खेत में आए। उन्होंने मृतक से बैल छीनने का प्रयास किया। यह कहा जाता है कि जब उसने विरोध किया तो अपीलार्थी ने उस पर बेक से हमला किया और हरभजन सिंह ने उस पर लुहांगी से हमला किया, पीडब्लू-1 ने हस्तक्षेप किया और उसके बेटे को बचाने की कोशिश की। वह उसके शरीर पर गिर पड़ी, उसके बालों को खींचा गया था। वह रोने लगी। अवतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सुबह

करीब आठ बजे हुई। इस आशय की सूचना संबंधित थानाधिकारी को पराप्त हुई

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचा और पीडब्लू-1 का बयान लिया। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 10.30 सुबह दर्ज की गई अनुसंधान पूरा होने पर दोनों अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी और हरभजन सिंह ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के अभिसाक्ष्य बयान पर विचार करने पर अपीलार्थी और हरभजन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 324/34 के तहत दोषी ठहराया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए हरभजन सिंह को केवल भा.दं.सं. की धारा 304 भाग-एक के तहत दोषी पाया और उसे उस अवधि की सजा सुनाई, जो वह पहले ही काट चुका था।

7. विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों अपने-अपने मामलों में संबंधित निष्कर्ष पर पहुंचने में परिवादी पीडब्लू-1 की गवाही पर विश्वास किया।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आर. सी. कोहली ने कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर गलती की है क्योकि वह इस पर विचार करने में विफल रहे हैं

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट समय से पहले की थी, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट द्वारा 26.06.1995 को पराप्त की गइ थी।

(ii) हालांकि पी.डब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक ने सुबह कोई भोजन नहीं किया, मृतक के पेट में कुछ पचा हुआ भोजन पाया गया था।

(iii) मृतक की चप्पल और पीडब्लू-1 के खून से भरे कपड़े भी जब्त नहीं किये गये थे और इसके अलावा पी.डब्लयू- 1 द्वारा कथित रूप से पराप्त चोटों के संबंध में भी चिकित्सा राय संदिग्ध थी। घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध थी। उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

9. दूसरी ओर राज्य की और से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने आक्षेपित फैसले का समर्थन किया। विद्वान वकील के अनुसार, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 27.06.1995 के बजाय 26.06.1995 तारीख डालने में त्रुटि की जो स्पष्ट रूप से एक गलती थी। यह तर्क दिया कि चश्मदीद गवाह पीडब्लू-1 के स्पष्ट बयानों को देखते हुए

इस न्यायालय के लिएआक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।

10. हमें शरी कोहली द्वारा पीडब्लू-1 के बयान से पूरी तरह बता दिया गया है कि उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। उसके व्यवहार को विद्वान विचारण न्यायाधीश ने देखा है। उसने दिखाया कि कैसे और किस तरह से अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके बेटे की हत्या की और कैसे उसने उसे धारदार हथियारों से बार-बार हमले से उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बयान में, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री का पूरी तरह से समर्थन किया। उनके अनुसार, पुलिस लगभग 10 बजे जीप में मौके पर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया, इसलिए हमारी राय है कि पीडब्लू-1 एक विश्वसनीय गवाह था। हमारी राय में उसकी साक्ष्य की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी पुष्टि की गई थी जिसे पीडब्लू-4 डॉ. आर. विमलेश द्वारा साबित किया गया था। मृतक के शव परीक्षण से निम्नलिखित चोटें पाई गई थी-

"(i) स्पष्ट कटा हुआ किनारा वाला कटा हुआ घाव। हैरिस की जड़ाेंं को 18 सेमी x 5 सेमी x 6 1/2 सेमी माप में काटा जाता है, गर्दन 1 कशेरुका के स्तर पर गर्दन के ऊपरी हिस्से के पीछे अनुप्रस्थ रूप से रखा गया है

(ii) स्पष्ट कट मार्जिन के साथ, कटी हुई बालों की जड़ों नाप 4 सेमी x 1/2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक । गर्दन कशेरूकाआेंं के स्तर पर गर्दन का मध्य ऊपरी भाग

(iii) सिर के बाएं निचले हिस्से पर 8.8 सेमी x 2 सेमी x हड्डी के गहराई तक का घाव।

(iv) कटा हुआ घाव 9 सेमी x 2.5 सेमी x 1 सेमी, खोपड़ी की हड्डी का अस्थि भंग बायें माॅस्टाॅयड भाग पर

(v) कटा हुआ घाव 3 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक पार्श्विका की हड्डी का पिछला निचला भाग, पार्श्विकार रूप से टूटा हुआ, पश्चकपाल क्षेत्र के निचले भाग के मध्य तक विस्तारित पीछे के निचले भाग पर।

(vi) कटा हुआ घाव और साफ कटा हुआ मार्जिन 3.2 सेमी x 1.2 सेमी x 1 सेमी बायें ऊपरी स्कैप्युलर क्षेत्र पर

(vii) कंधे की पार्श्व पीठ पर 6 से. मी. x 1/2 से. मी. x 1/2 से. मी. स्पष्ट कट मार्जिन के साथ कटा हुआ घाव

(viii) खरोंच 8 सेमी x 1/4 सेमी लंबवत रूप से बाएं मेडिकल ऊपर के हिस्से और पीठ पर

(ix) खरोंच 6 से. मी. x <से. मी. तिरछा बाएं मेडिकल स्कैप्युलर क्षेत्र।"

11. यह अब विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह की साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है। [देखें रामजी सूर्य पाडवी व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य , [1983] 3 एस. सी. सी. 629, अनिल फूकन बनाम असम राज्य, [1993] 3 एस. सी. सी. 282 और सेवक अलियास रामसेवक बनाम एम.पी. राज्य व अन्य, [2001] 10 एससीसी 1]

12. यह सत्य है कि पी.डब्लयू- 1 की चप्पल और खून से सने कपड़े जब्त नहीं किए गए थे लेकिन यह भी सर्वविदित है कि अनुसंधान में कमी न्यायालय को दोष के निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी, यदि वह अन्यथा साबित पाया जाता है। [रोताश् बनाम राज० राज्य (2006) 13 SCALE 186 और आचारपरमबाथ प्रदीपन व अन्य बनाम केरल राज्य, (2006) 13 SCALE 600]

13. जहाँ तक श्री कोहली के इस तर्क का प्रश्न है कि संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट समय से पहले की थी, हमे इसे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। यह घटना सुबह 27.06.1995 पर हुई थी। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की गई उसी दिन दोपहर 3 बजे पोस्टमार्टम भी किया गया था।

14. इसलिए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जैसा कि विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा भी सहीं पाया गया कि

उसने केवल तारीख 27.06.1995 की बजाय 26.06.1995 डालने में गलती की।

15. यह तथ्य है कि मृतक के पेट में कुछ पचा भोजन पाया गया था, यह अपने आप में यह बताने में पर्याप्त था कि उसने उस दिन सुबह भोजन किया था, यानि चार घंटे के भीतर किया था। उसने कुछ खाना खाया था, भले ही वह पी.डब्लू-1 जानकारी में नहीं हो ।

16. इस मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति भी एक प्रासंगिक कारक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा मृतक को मारने का कारण स्पष्ट है। वह आरोपी व्यक्तियों की सहमति के बिना बैल को वापस ले गया था। वे मृतक और उसकी माँ के उक्त कृत्य के कारण क्रोधित हो गए होंगे। वे शायद बैल को वापस ले जाना चाहते थे या अन्यथा फिर इस बात से नाराज थे कि मृतक उनकी सहमति के बिना उनके कब्जे से बैल को ले जा रहा था और इस तथ्य को देखते हुए भी उन्होंने बैंल को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

17. इस मामले का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी और कथित हरभजन सिंह के खिंलाफ उक्त अपराध करने का आशय नहीं था तो एेसा कुछ हीं नहीं दर्शाया गया कि पक्षकाराे के बीच इतने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद उन्हें क्यों गलत तरीके से झुठा फंसाया जाएगा।

18. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जो तदनुसार खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजेन्द्र कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।